

# छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग



**वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन  
वित्तीय वर्ष 2015-16**

**छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग**  
मधु पिल्लै चौक, राम मंदिर के सामने, शांति क्षण, रायपुर  
दूरभाष : 0771-2446018, फैक्स : 0771-4070131  
E-mail - id : cgpurc@gmail.com, Website : [www.cgpurc.in](http://www.cgpurc.in)

# छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

[छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम - 2005 के अंतर्गत स्थापित]



वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन  
वित्तीय वर्ष 2015-2016

---

## छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

मधु पिल्लै चौक, राम मंदिर के सामने, शांति नगर, रायपुर

दूरभाष : (0771)2446018, फैक्स : (0771)4070131

E-mail -id : cgpurc@gmail.com, Website : [www.cgpurc.in](http://www.cgpurc.in)

# छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

## वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष 2015-2016

- 
- टीप :- (1) छत्तीसगढ़ निजी क्षेत्र विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) अधिनियम 2002 (क्रमांक 2 सन् 2002) यथा संशोधित 17 मार्च 2004 की धारा 24 के प्रावधानों के अंतर्गत स्थापित आयोग।  
(2) उक्त अधिनियम का निरसन एवं व्यावृत्ति छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005, (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 44 दिनांक 25 अगस्त 2005 को किया गया।



## छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (छत्तीसगढ़ शासन)

मधु पिल्लै चौक, राम मंदिर के सामने, शांति नगर, रायपुर (छ.ग.) 492007  
दूरभाष नं. : 0771-2446018, फैक्स : 0771-4070131

E-mail -id : cgpurc@gmail.com, Website : www.cgpurc.in

क्रमांक – 426 / ए.ए.आर.सी. / 166 / ए / 2005 / ६०३४

रायपुर दिनांक २१/०९/2016

प्रति,

प्रमुख सचिव,  
छत्तीसगढ़ शासन,  
उच्च शिक्षा विभाग,  
मंत्रालय, महानदी भवन,  
नया रायपुर (छ.ग.)

विषय:—वित्तीय वर्ष 2015–16 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन

—0—

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम 2005 की कंडिका 22 में यह प्रावधान है, कि “आयोग प्रत्येक वर्ष के लिए एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा जिसमें उस वर्ष के कियाकलापों का लेखा-जोखा दिया जाएगा। नियम 2005 की कंडिका 23 (ग) में यह भी प्रावधान है कि आयोग के वार्षिक लेखा को चार्टर्ड एकाउन्टेट द्वारा प्रमाणित करा कर उनका सम्परीक्षा प्रतिवेदन तैयार कराया जाएगा। कंडिका 22 एवं 23 की व्यवस्था के अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन के साथ वित्तीय वर्ष की वार्षिक लेखा सम्परीक्षा की प्रतिलिपि संलग्न कर उच्च शिक्षा विभाग को आयोग द्वारा अग्रेषित किया जाना है तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा उसे विधानसभा के पटल पर रखा जाना है”।

उक्त वैधानिक व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015–16 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसे आयोग ने बैठक दिनांक २१/०९/2016 को विचार कर अनुमोदन किया है। आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(डॉ. ओम प्रकाश वर्मा)

अध्यक्ष

## छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग वार्षिक प्रतिवेदन

वित्तीय वर्ष 2015–16

आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 की धारा 22 के अनुसार वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसमें वर्ष भर के क्रिया-कलापों का लेखा-जोखा दिया गया है। उक्त वार्षिक प्रतिवेदन उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु प्रस्तुत हैं।

### 1. विनियामक आयोग – पदाधिकारी एवं अधिकारी

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 36 के अनुसार निजी विश्वविद्यालयों के विनियमन के लिए राज्य स्तर पर एक विनियामक आयोग स्थापित किया जायेगा जो राज्य शासन, एवं केन्द्रीय नियामक अभिकरण के बीच अध्यापन, परीक्षा, शोध एवं अन्य कार्यक्रम में यथोचित मानक स्तर सुनिश्चित करने, विद्यार्थियों के हित संरक्षण तथा कर्मचारियों को तर्कसंगत सेवा शर्ते सुनिश्चित करने के लिए होगा, साथ ही विश्वविद्यालय को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता भी बनाये रखेगा। विनियामक आयोग कुलाध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण में कार्य करेगा। तदनुसार आयोग निरन्तर कार्यरत् है। आयोग में निम्नानुसार पदाधिकारी एवं अधिकारी हैं –

- (1) डॉ० ओम प्रकाश वर्मा – अध्यक्ष
- (2) डॉ० मुकिति मिश्रा – पूर्णकालिक सदस्य
- (3) डॉ० शिव वरण शुक्ल – पूर्णकालिक सदस्य
- (4) श्रीमती रेणु देशमुख – पूर्णकालिक सदस्य
- (5) डॉ० एस०आर० गुप्ता – अंशकालिक सदस्य
- (6) डॉ० स्मृति वाजपेयी – अंशकालिक सदस्य
- (7) प्रो० बी०आर० चन्द्राकर – सचिव

2. आयोग कार्यालय में उक्त पदाधिकारियों का कार्यकाल निम्नानुसार है –

- (1) डॉ० मुक्ति मिश्रा, सदस्य (अकादमिक) ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग में दिनांक 21/06/2012 को पदभार ग्रहण किया था तथा इनका कार्यकाल दिनांक 20/06/2015 को पूर्ण हुआ।
- (2) डॉ० ओम प्रकाश वर्मा ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष पद का कार्य भार दिनांक 25/09/2013 को ग्रहण किया।
- (3) डॉ० शिव वरण शुक्ल ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के सदस्य (अकादमिक) पद का कार्य भार दिनांक 03/10/2015 को ग्रहण किया।
- (4) श्रीमती रेणु देशमुख ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के सदस्य (प्रशासनिक) पद का कार्य भार दिनांक 03/12/2015 को ग्रहण किया।

3. विनियामक आयोग की बैठकें –

वर्ष 2015–16 में विनियामक आयोग की 08 बैठकें निम्नांकित तिथियों में आयोजित की गईं –

1. 26/06/2015
2. 04/08/2015
3. 15/09/2015
4. 08/12/2015
5. 01/01/2016
6. 28/01/2016
7. 29/02/2016
8. 05/03/2016

## 1 प्रस्तावित आई.एस.बी.एम. यूनिवर्सिटी की स्थापना एवं निगमन के संबंध में –

प्रस्तावित आई.एस.बी.एम. यूनिवर्सिटी, ग्राम—छूरा, तहसील—छूरा, जिला —गरियाबंद (छ0ग0) की स्थापना एवं निगमन के संबंध में आयोग की बैठक दिनांक 05 मार्च, 2016 में चर्चा हुई जिसमें आई.एस.बी.एम. यूनिवर्सिटी, के संबंध में अधीक्षक, भू—अभिलेख, रायपुर द्वारा प्रस्तुत भूमि संबंधी जांच प्रतिवेदन एवं उनके द्वारा एकत्रित जानकारी के साथ—साथ छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 में दिए गए स्थापना एवं निगमन संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए समग्र रूप से विचार किया गया। विस्तृत समीक्षा एवं चर्चा के उपरान्त इस प्रस्तावित विश्वविद्यालय के संबंध में मुख्य रूप से जो तथ्य सामने आए हैं वे निम्नानुसार हैं –

1. प्रस्तावित विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर 10.53 हेक्टेयर (26.01 एकड़) स्वामित्व की भूमि में ग्राम—छूरा, तहसील—छूरा, जिला —गरियाबंद (छ0ग0) में है। इस भूमि का व्यपर्वर्तन शैक्षणिक प्रयोजनार्थ हो चुका है।
2. विन्यास निधि की राशि के रूप में रूपये 01 करोड़ आयोग के पास जमा है।
3. मुख्य परिसर में प्रशासनिक भवन एवं अकादमिक भवन का निर्माण कार्य किया गया है जिसमें 46,810 वर्ग फुट का निर्माण कार्य किया गया है। भू—तल में स्वागत कक्ष के साथ 06 अध्यापन कक्ष कांफेस हाल, लैप्टॉप लैब, कुलाधिकृति, कुलपति, एवं कुलसचिव के कक्ष स्थित हैं। प्रथम तल में ग्रन्थालय स्थित है। साथ ही भू—तल एवं प्रथम तल पूर्णतः शिक्षु व्यवस्था से सुसज्जित है तथा छात्र—छात्राओं के लिए वृथक—वृथक टायलेट बने हुए हैं। प्रबन्धन के प्रतिनिधियों ने पूरे परिसर की योजना की लपरेखा प्रस्तुत की जिसमें भविष्य में बनाये जाने वाले कुलपति, कुलसचिव के निवास के साथ अकादमिक भवन, वर्कशाप, आडिटोरियम एवं खेल का मैदान आदि की जानकारी दी है।

वर्तमान में कम्प्यूटर लैब के लिए लगभग 80 नग कम्प्यूटर का क्य किया गया है तथा ग्रंथालय के लिए पुस्तकें, जर्नल्स आदि का क्य किया जा चुका है। प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय रायपुर के नई राजधानी परिक्षेत्र से लगभग 110 कि.मी. रायपुर गरियाबंद पहुचमार्ग से जुड़ा है।

4. आवश्यक परिवर्चन (Undertaking) भी शपथ पत्र में दी जा चुकी है।

इस प्रकार प्रस्तावित विश्वविद्यालय अधिनियम 2005 में दी गई सभी शर्तों को पूरा करता है। अतः आयोग द्वारा सर्व-सम्मति से प्रस्तावित आई.एस.बी.एम. विश्वविद्यालय की स्थापना एवं निगमन की अनुशंसा की जाती है।

#### 4.2 प्रायोजक निकायों को आशय पत्र जारी करने के संबंध में –

प्रायोजक निकाय – एस.जी.आर. एजुकेशनल एण्ड मेडिकल रिसर्च फाउन्डेशन, शारदा हाउस, प्रथम मंजिला, 345-किंग्सवे नागपुर (प्रस्तावित जी0एच0 रायसोनी इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी), के परियोजना प्रतिवेदन का आयोग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति ने दिनांक 30.04.2015 को मूल्यांकन किया। मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन निम्नानुसार है –

“परियोजना प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम–2005 की धारा 4(2) एवं 5(2) के अंतर्गत चाही गई जानकारी प्रायोजक निकाय द्वारा प्रदान की गई है। अतः प्रायोजक निकाय को जी.एच. रायसोनी इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु आशय पत्र (LOI) जारी करने की अनुशंसा की जाती है।”

मूल्यांकन समिति के उपरोक्त प्रतिवेदन पर आयोग की बैठक दिनांक 04 अगस्त, 2015 में विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रायोजक निकाय एस.जी.आर. एजुकेशनल एण्ड मेडिकल रिसर्च फाउन्डेशन, शारदा हाउस, प्रथम मंजिला, 345-किंग्सवे नागपुर प्रस्तावित जी0एच0 रायसोनी इन्टरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिये आशय पत्र (LOI) जारी करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर को अनुशंसा पत्र लिखा जाये।

4.3 प्रायोजक निकाय – महर्षि शिक्षा संस्थान, ई-5, पंचवी मंजिला, हंसालया, 15, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली (प्रस्तावित महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एन्ड टेक्नोलाजी) के परियोजना प्रतिवेदन का आयोग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति ने दिनांक 17.08.2015 को मूल्यांकन किया। मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन निम्नानुसार है –

“परियोजना प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 की धारा 4(2) एवं 5(2) के अंतर्गत चाही गई जानकारी प्रायोजक निकाय द्वारा प्रदान की गई है। अतः प्रायोजक निकाय को महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एन्ड टेक्नोलाजी की स्थापना हेतु आशय पत्र (LOI) जारी करने की अनुशंसा की जाती है”।

मूल्यांकन समिति के उपरोक्त प्रतिवेदन पर आयोग की बैठक दिनांक 15, सितम्बर, 2015 में विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रायोजक निकाय महर्षि शिक्षा संस्थान, ई-5, पंचवी मंजिला, हंसालया, 15, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एन्ड टेक्नोलाजी की स्थापना के लिये आशय पत्र (LOI) जारी करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर को अनुशंसा पत्र लिखा जाये।

4.4 प्रायोजक निकाय – दिशा एजुकेशन सोसायटी, दिशा ग्राउंड बिल्डिंग, कचना रोड, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) द्वारा (प्रस्तावित दिशा यूनिवर्सिटी) के परियोजना प्रतिवेदन का आयोग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति ने दिनांक 07.09.2015 को मूल्यांकन किया। मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन निम्नानुसार है –

“परियोजना प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 की धारा 4(2) एवं 5(2) के अंतर्गत चाही गई जानकारी प्रायोजक निकाय द्वारा प्रदान की गई है। अतः प्रायोजक निकाय को दिशा यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु आशय पत्र (LOI) जारी करने की अनुशंसा की जाती है।”

मूल्यांकन समिति के उपरोक्त प्रतिवेदन पर आयोग की बैठक दिनांक 15 सितम्बर, 2015 में विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रायोजक निकाय दिशा एजुकेशन सोसायटी, दिशा ग्राउंड बिल्डिंग, कचना रोड, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.) द्वारा प्रस्तावित दिशा यूनिवर्सिटी, रायपुर की स्थापना के लिये आशय पत्र (LOI) जारी करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर को अनुशंसा पत्र लिखा जाये।

4.5 प्रायोजक निकाय श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट युगतीर्थ शांतिकुंज, हरिद्वार 2499411 (प्रस्तावित देव संस्कृति विश्वविद्यालय) के परियोजना प्रतिवेदन का आयोग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति ने दिनांक 25.01.2016 को मूल्यांकन किया। मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन निम्नानुसार है –

“परियोजना प्रतिवेदन में छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 की धारा 4(2) एवं 5(2) के अंतर्गत चाही गई जानकारी प्रायोजक निकाय द्वारा प्रदान की गई है। अतः प्रायोजक निकाय को प्रस्तावित देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु आशय पत्र (LOI) जारी करने की अनुशंसा की जाती है।”

मूल्यांकन समिति के उपरोक्त प्रतिवेदन पर आयोग की बैठक दिनांक 28 जनवरी, 2016 में विचारोपरान्त सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रायोजक निकाय श्री वेदमाता गायत्री ट्रस्ट युगतीर्थ शांतिकुंज, हरिद्वार – 2499411, द्वारा प्रस्तावित देव संस्कृति विश्वविद्यालय रायपुर की स्थापना के लिये आशय पत्र (LOI) जारी करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर को अनुशंसा पत्र लिखा जाये।

## 5. अध्यादेशों का अनुमोदन –

- 5.1 डॉ० सी०व्ही० रमन, विश्वविद्यालय द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत अध्यादेश क्रमांक 17,18,32, एवं 119 को आयोग की बैठक दिनांक 04 अगस्त, 2015 में रखा गया। विचारोपरान्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अध्यादेश क्रमांक 17,18,32, एवं 119 को अनुमोदित किया गया तथा यह निर्णय लिया गया कि राजपत्र में प्रकाशित कराने हेतु राज्य शासन को भेजा जाये।
- 5.2 मैट्स विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत संशोधित अध्यादेश क्रमांक 35 एवं अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 110 से 119 को आयोग की बैठक दिनांक 15 सितम्बर, 2015 में रखा गया। विचारोपरान्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से संशोधित अध्यादेश क्रमांक 35 एवं अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 110 से 119 को अनुमोदित किया गया तथा यह निर्णय लिया कि राजपत्र में प्रकाशित कराने हेतु राज्य शासन को भेजा जाये।
- 5.3 कंलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत अध्यादेश क्रमांक 58 से 64 को आयोग की बैठक दिनांक 04 अगस्त, 2015 में रखा गया। विचारोपरान्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अध्यादेश क्रमांक 58 से 64 को अनुमोदित किया गया तथा यह निर्णय लिया कि राजपत्र में प्रकाशित कराने हेतु राज्य शासन को भेजा जाये।
- 5.4 आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय, दुर्ग द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 28 से 34 को आयोग की बैठक दिनांक 04 अगस्त, 2015 में रखा गया। विचारोपरान्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 28 से 34 को अनुमोदित किया गया तथा यह निर्णय लिया कि राजपत्र में प्रकाशित कराने हेतु राज्य शासन को भेजा जाये।

- 5.5 ओपी जिन्दल विश्वविद्यालय, रायगढ़ द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत प्रथम परिनियम क्रमांक 01 से 30 तक एवं प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 15 को आयोग की बैठक दिनांक 04 अगस्त, 2015 में रखा गया। विचारोपरान्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम एवं प्रथम अध्यादेश को अनुमोदित किया तथा यह निर्णय लिया कि राजपत्र में प्रकाशित कराने हेतु राज्य शासन को भेजा जाये।
- 5.6 एमिटी यूनिवर्सिटी द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत प्रथम परिनियम क्रमांक 01 से 31 तक एवं प्रथम अध्यादेश क्रमांक 01 से 12 को आयोग की बैठक दिनांक 04 अगस्त, 2015 में रखा गया। विचारोपरान्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम एवं प्रथम अध्यादेश को अनुमोदित किया तथा यह निर्णय लिया कि राजपत्र में प्रकाशित कराने हेतु राज्य शासन को भेजा जाये।

## 6. पीएच. डी पाठ्यक्रम के संबंध में –

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम-2005 के अंतर्गत, आयोग की बैठक दिनांक 04 अगस्त, 2015 छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालयों को पीएच. डी. पाठ्यक्रम के संबंध में निर्देश जारी करने का निर्णय सर्व सम्मति से सदस्यों द्वारा लिया गया।

## 7. कंलिंगा विश्वविद्यालय में नये संकाय को जोड़ने के संबंध में –

कंलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा 11 नये संकायों को जोड़ने का निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है –

1. विधि (लॉ)
2. अभियान्त्रिकी/प्रौद्योगिकी/वास्तु शिल्प/डिजाइन
3. कृषि एवं समवर्ती विषय
4. पत्रकारिता/जन सम्प्रेषण/मीडिया
5. मेडिसन/सर्जरी/आयुर्वेद/होम्योपैथ/हैल्थ एड एलाइड साइंस/पैरामेडिकल/नर्सिंग
6. पुनर्वास विज्ञान
7. एजुकेशन/टीचर्स ट्रेनिंग
8. लाइब्रेरी एण्ड इन्फॉर्मिंग साइंस

9. फाइन आर्ट/परफॉरमिंग आर्ट/विजुअल आर्ट/एप्लाइड आर्ट
10. होटल प्रबन्धन/अतिथि संचालन/पर्यटन/यात्रा
11. व्यावसायिक शिक्षा

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, 2010 के अनुसार छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 9 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया गया –

“परन्तु निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात् कोई नया शिक्षण कार्यक्रम, राज्य शासन के पूर्व अनुमोदन से पुरः स्थापित किया जा सकेगा।”

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 7(4) (ड) एवं 35 के अनुसार निजी विश्वविद्यालयों द्वारा अध्यादेशों की स्वीकृति के बिना प्रवेश तथा कक्षाओं के संचालन का कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। प्रत्येक पाठ्यक्रम के संचालन के पूर्व आवश्यक केन्द्रीय नियामक संस्थाओं से अनुमति तथा अधिनियम-2005 के प्रावधानों के अंतर्गत अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशित होने के पश्चात् ही प्रवेश तथा कक्षाओं के संचालन का कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए नये शिक्षण कार्यक्रम को जोड़ने हेतु कंलिंगा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव पर आयोग की बैठक दिनांक 08 / 12 / 2015 पर विचार विमर्श किया गया तथा यह निर्णय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया कि 11 संकायों में से 02 संकायों यथा सरल क्रमांक (3) कृषि एवं समवर्ती विषय तथा सरल क्रमांक (5) मेडिसन/ सर्जरी/आयुर्वेद/होम्योपैथ/हैल्थ एंड एलाइड साइंस/पैरामेडिकल/नर्सिंग में अंकित संकायों को छोड़कर 09 संकायों की अनुमति हेतु अनुशंसा पत्र राज्य शासन को भेजा जाये।

## 8. आयोग के अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में –

- 8.1 आयोग की बैठक दिनांक 01 जनवरी, 2016 में प्रो० बी०आर० चन्द्राकर, सचिव, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की संविदा नियुक्ति के अंतर्गत सेवा में एक वर्ष के लिए वृद्धि करने का निर्णय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया।

8.2 आयोग की बैठक दिनांक 01 जनवरी, 2016 में श्री टी0टी0 थॉमस, शीघ्रलेखक-1, (अंग्रेजी), छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की संविदा नियुक्ति के अंतर्गत सेवा में एक वर्ष के लिए वृद्धि करने का निर्णय सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया।

#### 9. राज्य की संचित निधि में जमा शुल्क राशि का विवरण -

- 9.1 डॉ० सी०व्ही० रमन विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2015-16 में विद्यार्थियों से ली गई शुल्क राशि का एक प्रतिशत एवं शास्त्रिक ब्याज राशि सहित कुल रु० 9,07,693 = 00 आयोग को प्राप्त हुए तथा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में जमा किया गया।
- 9.2 मैट्स विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2015-16 में विद्यार्थियों से ली गई शुल्क राशि का एक प्रतिशत एवं शास्त्रिक ब्याज राशि सहित कुल रु० 55,31,170 = 00 आयोग को प्राप्त हुए तथा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में जमा किया गया।
- 9.3 आई०सी०एफ०ए०आई० विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2015-16 में विद्यार्थियों से ली गई शुल्क राशि का एक प्रतिशत राशि सहित कुल रु० 29,739.25 = 00 आयोग को प्राप्त हुए, तथा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में जमा किया गया।
- 9.4 कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2015-16 में विद्यार्थियों से ली गई शुल्क राशि का एक प्रतिशत राशि एवं शास्त्रिक ब्याज राशि सहित कुल रु० 2,73,583 = 00 आयोग को प्राप्त हुए, तथा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में जमा किया गया।
- 9.5 आई०टी०एम० विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2015-16 में विद्यार्थियों से ली गई शुल्क राशि का एक प्रतिशत एवं शास्त्रिक ब्याज राशि सहित कुल रु० 5,85,924 = 00 आयोग को प्राप्त हुए तथा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में जमा किया गया।

## 10. न्यायालयीन प्रकरण –

पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालय के विरुद्ध न्यायालय में याचिका दायर की गई है, जिसमें विनियामक आयोग को एक पक्षकार बनाया गया है। विनियामक आयोग द्वारा प्रकरण में अधिवक्ता से सम्पर्क कर आयोग का पक्ष रखते हुए आवश्यक कार्यवाही की गई। वर्ष 2015–16 में न्यायालयीन प्रकरण का विवरण निम्नानुसार है –

### न्यायालयीन प्रकरण की स्थिति

रिट पिटिशन/कम्प्लेन्ट नं.	माननीय उच्च न्यायालय/उपभोक्ता फोरम का नाम	वादी/प्रतिवादी	रिमार्क
रिट पिटिशन (सी) नं. 8979 / 2012 (एस)	माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश की बैन्च, ग्वालियर खण्डपीठ	बनवारी लाल त्यागी विरुद्ध पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय एवं अन्य	प्रकरण लम्बित है।
आवेदन नं.412 / 2016	सेंट्रल एडमिनीस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, प्रीसीपल बैच 61 / 35, कोपरनिक्स मार्ग, नई दिल्ली	नितिन कुमार दुबे विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य	प्रकरण लम्बित है।

## 11. पूर्ववर्ती/प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालयों से संबंधित शिकायतों पर कार्यवाही –

पूर्ववर्ती निजी विश्वविद्यालयों के संबंध में विभिन्न प्रकार की शिकायतें आयोग को प्राप्त हुईं। प्राप्त शिकायतों के संबंध में संबंधित प्रायोजक निकायों को पत्र द्वारा शिकायतों का निराकरण करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही विचाराधीन अवधि में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए समय पर आयोग कार्यालय द्वारा आवेदकों को जानकारी उपलब्ध करायी गई है।


## 12. छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित निजी विश्वविद्यालय –

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 के अंतर्गत वर्ष 2006 से विचाराधीन अवधि तक छत्तीसगढ़ राज्य में सात निजी विश्वविद्यालय यथा स्थापित एवं संचालित हैं। इनका विवरण निम्नानुसार है –


सं. क्र.	निजी विश्वविद्यालय का नाम	निजी विश्वविद्यालय का पता	निजी विश्वविद्यालय के स्थापना का वर्ष व दिनांक
1.	डॉ० सी०ढी० रमन विश्वविद्यालय	करगी रोड, कोटा, जिला—बिलासपुर (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 03 नवम्बर, 2006
2.	मैट्स विश्वविद्यालय	ग्राम—गुल्लू तहसील—आरंग, जिला—रायपुर	स्थापना दिनांक 03 नवम्बर, 2006
3.	कलिंगा विश्वविद्यालय	ग्राम—कोटनी पलौद, तहसील—आरंग, जिला—रायपुर	स्थापना दिनांक 24 मार्च, 2011
4.	आई०सी०एफ०ए०आई० विश्वविद्यालय	ग्राम—कुम्हारी तहसील—चोरहा, जिला—दुर्ग (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 24 मार्च, 2011
5.	आई०टी०एम० विश्वविद्यालय	ग्राम—उपरवारा, तहसील—अभनपुर, जिला—रायपुर (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 03 फरवरी, 2012
6.	एमिटी यूनिवर्सिटी	ग्राम —मांठ, तहसील—तिल्दा, जिला—रायपुर (छ.ग.)	स्थापना दिनांक 21 अगस्त, 2014
7.	ओ.पी. जिन्दल, यूनिवर्सिटी	ओ.पी. जिन्दल नालेज पार्क, ग्राम—पुंजीपथरा, तहसील—घरघोड़ा, जिला—रायगढ़	स्थापना दिनांक 21 अगस्त, 2014


15. लेखाओं पर प्रतिवेदन के संबंध में -


विचाराधीन अवधि के लेखाओं की सम्परीक्षा मेसर्स बत्रा दीपक एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउंटेस, रायपुर द्वारा की गई है, जो प्रतिवेदन के साथ संलग्नक -1 पर है।

  
(डॉ० ओम प्रकाश वर्मा)  
अध्यक्ष

  
(प्र०० शिव करण शुक्ल)  
सदस्य (अकादमिक)

  
(श्रीमती रेणु देशमुख)  
सदस्य (प्रशासनिक)

  
(डॉ० एस०आर० गुप्ता)  
अंशकालिक सदस्य

  
(डॉ० स्मृति वाजपेयी)  
अंशकालिक सदस्य

  
(प्र०० बी०आर० चन्द्राकर)  
सचिव

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग  
शांति नगर, रायपुर – 492 007

**CHHATISHGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA**  
**VINAYAMAK AYOG**

**AUDITED FINANCIAL STATEMENT  
FOR FINANCIAL YEAR  
2015-16**

**BATRA DEEPAK & ASSOCIATES**

**Batra Deepak & Associates**  
*Chartered Accountants*

Office No.28, 2nd Floor, Ashoka Plaza Complex  
(Near Ashoka Ratan, Khamardih), Vidhan Sabha Road, RAIPUR (Chhattisgarh) 492001  
Phone: 0771-2281180, 81, 82; Fax: 0771-2281183  
E-mail: audit\_murari@bdaca.com

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

To,  
The Members  
Chhattisgarh Niji Vishwavidyalaya Vinayamak Ayog (Ayog),  
Raipur (Chhattisgarh)

We have audited the attached Balance Sheet of **CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG (AYOG)** as at 31st March 2016 and the Income & Expenditure Account of the Ayog for the year ended on that date. Our report is as under:

- (a) These financial statements are the responsibility of the Entity's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements, based on our audit.
- (b) We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.
- (c) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
- (d) In our opinion, proper books of account have been prepared, so far as it appears from our examination of such books.



- (e) The Balance Sheet and Income & Expenditure Account referred to in this report are in agreement with the books of accounts.
- (f) Our audit observations are as under,
- We observed that fees collected by Ayog has not been deposited within stipulated 15 days with the Government in its Treasury Account. Details are as under-

S. NO	NAME OF UNIVERSITY	FEES AMOUNT	DATE OF RECEIPT	DUE DATE OF DEPOSIT	DATE OF DEPOSIT	DELAY IN DAYS
1	CV RAMAN	9,07,693	09/04/2015	24/04/2015	29/03/2016	340
2	MATS	15,00,000	27/04/2015	12/05/2015	29/03/2016	322
3	ITM	5,85,924	28/05/2015	12/06/2015	29/03/2016	291
4	MATS	10,00,000	29/05/2015	13/06/2015	29/03/2016	290
5	MATS	6,73,231	04/06/2015	19/06/2015	29/03/2016	284
6	ICFAI	6,690	24/09/2015	09/10/2015	29/03/2016	172
7	ICFAI	800	24/09/2015	09/10/2015	29/03/2016	172
8	ICFAI	1,105	12/10/2015	27/10/2015	29/03/2016	154
9	ICFAI	8,640	12/10/2015	27/10/2015	29/03/2016	154
10	MATS	7,44,952	28/10/2015	12/11/2015	29/03/2016	138
11	ICFAI	1,142	07/11/2015	22/11/2015	29/03/2016	128
12	MATS	6,12,987	16/12/2015	02/01/2016	29/03/2016	89
13	ICFAI	11,362	09/02/2016	24/02/2016	29/03/2016	34
14	KALINGA	2,34,835	01/03/2016	16/03/2016	29/03/2016	13
15	KALINGA	38,748	01/03/2016	16/03/2016	29/03/2016	13
<b>TOTAL</b>		<b>63,28,109</b>				

- During the year under review we observed that the entity has deposited an excess amount of Rs. 1306 to Treasury with regards to fees collected from the universities. Due to which Dr. Balance of Rs. 1306 is appearing under current assets.
- (g) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said Balance Sheet and the Income and Expenditure account read together with the notes thereon, but subject to para (f), (g) & (h) above give the information required, in the manner so required and give a true and fair view:
- In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Ayog as at 31st March, 2016, and



- (ii) In the case of Income and Expenditure Account, Surplus for the year ended on  
that date.

For, BATRA DEEPAK & ASSOCIATES  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
FIRM REG. NO. 005408C



[MURARI MITTAL]  
PARTNER  
M.NO. 300784

PLACE: RAIPUR  
DATE: 27.08.2015

**CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG**

**BALANCE SHEET AS AT 31 ST MARCH 2016**

PARTICULARS	SCHEDULE	AMOUNT(Rs.) 31.03.2016	AMOUNT(Rs.) 31.03.2015
<b>SOURCES OF FUNDS:</b>			
<b>CAPITAL FUND:</b>			
Reserve & Surplus	"A"	140,011,449	137,250,147
T-O-T-A-L :-		<b>140,011,449</b>	<b>137,250,147</b>
<b>APPLICATION OF FUNDS:</b>			
<b>FIXED ASSETS:</b>	"B"		
Opening W.D.V.		1,013,310	543,386
Add: Addition during the year		182,749	623,162
Less: Depreciation during the year		162,702	153,238
Closing W.D.V.		<b>1,033,357</b>	<b>1,013,310</b>
<b>CURRENT ASSETS, LOANS &amp; ADVANCES:</b>			
Cash & Bank balances	"C"	31,064,053	4,536,591
Investments in fixed deposit receipts	"D"	368,780,714	398,595,802
Deposits & Advances	"E"	133,326	134,469
		<b>399,978,092</b>	<b>398,266,862</b>
<b>LESS: CURRENT LIABILITIES &amp; PROVISIONS:</b>	"F"		
Net Current Assets		261,000,000	262,030,024
T-O-T-A-L :-		<b>138,978,092</b>	<b>136,236,837</b>
Notes to accounts form integral part of Balance Sheet and Income & Expenditure Account	"G"	<b>140,011,449</b>	<b>137,250,147</b>

FOR, CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA  
**VINAYAMAK AYOG**  
 CHHATTISGARH NIJI  
 VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG

(Dr. Om Prakash Verma) (Prof. B.R. Chadrakar)  
 Chairman Secretary  
 [CHAIRMAN] [MEMBER ADMIN.]

(Dr. Om Prakash Verma)

(Prof. B.R. Chadrakar)

Chairman

Secretary

[CHAIRMAN]

[MEMBER ADMIN.]

FOR, BATRA DEEPAK & ASSOCIATES  
 CHARTERED ACCOUNTANTS  
 FIRM REG. NO. 905408C



[ MURARI MITTAL ]  
 PARTNER  
 M.NO 300784

DATE : 27.08.2016


PLACE: RAIPUR

DATE : 27.08.2016


PLACE: RAIPUR

**CHHATTISGARH NIJI VISHVAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG**  
**INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT**  
**FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH 2016**

PARTICULARS	SCHEDULE	AMOUNT (Rs.) 31.03.2016	AMOUNT (Rs.) 31.03.2015
I-N-C-O-M-E :			
Sale of forms & miscellaneous income		17,000	46,550
Interest from Fdrs		7,621,274	42,419,278
Other interest from Banks		470,958	387,002
Misc Income		-	660
Utilization of Government Grant		-	500,000
TDS Refund		-	384,701
	TOTAL (A)	<b>8,109,232</b>	<b>43,738,191</b>
E-X-P-E-N-D-I-T-U-R-E :			
Petty Cash Expenses (Till Money)		173,542	119,500
Staff salary		3,901,544	3,488,841
Audit fees		22,800	22,472
Telephone expenses		58,043	66,365
Rent expenses		353,441	333,960
Electricity charges		54,610	74,390
Travelling and Conveyance expenses		95,404	447,630
Depreciation		162,702	153,238
Office expenses		76,411	4,675
Interest on Endowment & Additional Fund		-	8,665,000
Bank charges		1,473	1,403
Printing & Stationery expenses		86,375	-
Sitting fees		48,000	10,500
Professional expenses		218,231	180,337
Interest on Late Deposit of TDS		-	660
Medical Reimbursement		68,496	138,959
Repairs & Maintenance expenses		26,858	13,815
	TOTAL (B)	<b>5,347,930</b>	<b>13,721,745</b>
Excess of Income over Expenditure (A - B)		2,761,302	30,016,446
Net Surplus Carried to Balance Sheet		<b>2,761,302</b>	<b>30,016,446</b>
Notes to accounts form integral part of Balance Sheet and Income & Expenditure Account	"G"		

FOR, CHHATTISGARH NIJI VISHVAVIDYALAYA  
**VINAYAMAK ASOORH NIJI**  
VISHVAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG  
  
Dr. Om Prakash Verma (Prof. B. R. Chauhan)  
Chairman [S/o]  
[CHAIRMAN] [MEMBER ADMIN.]

FOR, BATRA DEEPAK & ASSOCIATES  
CHARTERED ACCOUNTANTS  
FIRM REG. NO. 005408C

  
[MURARI MITTAL]  
PARTNER  
M. NO 300784

DATE : 27.08.2016  
PLACE: RAIPUR

DATE : 27.08.2016  
PLACE: RAIPUR

## CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG

### SCHEDULE - "G" SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES & NOTES TO ACCOUNTS

#### A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES:

##### 1. BASIS FOR PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENT:

These accounts have been prepared under the historical cost convention on the basis of a going concern, with revenues earned and expenses actually paid i.e. cash method of accounting. The financial statements are prepared in accordance with the generally accepted accounting principles and provisions of the statute have been followed.

##### 2. FIXED ASSETS:

Fixed assets are stated at cost less depreciation. Cost of acquisition of fixed assets is inclusive of all expenses.

##### 3. DEPRECIATION:

The entity has provided for depreciation as per rates prescribed under the Income Tax Act 1961.

##### 4. TAXATION:

Provision for current and deferred taxation to be done as per Income Tax Act 1961

##### 5. EMPLOYEE RETIREMENT BENEFITS:

The Society considering its size and nature of operation has decided not to make provision of Leave encashment benefit as per Accounting Standard 15 "Employee's Benefit".

The Society has decided that the Leave encashment benefit at the time of retirement should be charged to Income & Expenditure account on payment basis.

##### 6. CONTINGENT LIABILITIES:

(i) Contingent liabilities are not provided for in the books of accounts and are shown separately in the "Notes to Accounts". The liability of Rs. 1,52,35,528 /- towards interest due on endowment fund payable to such depositors has not been accounted for in books of accounts as the same would be accounted on payment basis.



B. NOTES TO ACCOUNTS:

- (i) Figures of the previous year have been re-arranged/re-grouped wherever considered necessary so as to make them comparable with current year's figures.
- (ii) Contingent Liabilities: Rs. 1,52,35,528
- (iii) Tax Provision: - The AYOG is a body enacted under a separate enactment. It is constituted to regulate the conduct of private sector universities in the state of Chhattisgarh. It is also designated agency for allowing set up of any private university in the state of Chhattisgarh. In view of which it fulfills the criteria stipulated under section 10(46) of the I.T Act for getting full exemption of its income/surplus and the order for the same has also been passed in favour of AYOG . Apart From this, AYOG has already been approved for exemption under other applicable sections of the IT Act. As AYOG has been recognizing the refund of Endowment funds as its application of surplus and has accordingly not made any provision of income tax in its books of account.
- (iv) Cash-in-Hand have been taken as certified by the members.
- (v) Parties' balances are subject to confirmations.
- (vi) Previous year figures have been regrouped and rearranged wherever necessary

SIGNATURES TO SCHEDULES "A" TO "G"

For, CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA

VINIYAMAK AYOG

For CHHATTISGARH NIJI

VISHWAVIDYALAYA VINIYAMAK AYOG


Dr.

OP Verma

(Dr. Om Prakash Verma)

Chairman

[CHAIRMAN]



(Prof. B.R. Chandrakar)

Secretary

[MEMBER ADMIN.]

For, BATRA DEEPAK & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

FIRM REG. NO. 005408C



[MURARI MITTAL]

PARTNER

M.NO. 300784

DATE: 27.08.2016

PLACE: RAIPUR

DATE: 27.08.2016

PLACE: RAIPUR

CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG  
SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2016

PARTICULARS	AS AT 31.03.2016	AS AT 31.03.2015
<b>SCHEDULE - "A"</b>		
<b>RESERVES &amp; SURPLUS:</b>		
Opening Balance	137,250,147	107,233,701
Add : Surplus/(Deficit)	2,761,302	30,016,446
<b>T-O-T-A-L:-</b>	<b>140,011,449</b>	<b>137,250,147</b>
<b>SCHEDULE - "C"</b>		
<b>CASH AND BANK BALANCE:</b>		
<b>Bank Balances :</b>		
a) Balance with State Bank Of India	-	672,792
b) Balance with Union Bank Of India	46,709	53,633
c) Balance With Central Bank Of India	24,187,344	1,411,089
d) Auto Sweep Account with Union Bank of India	6,830,000	2,031,000
e) Flexi account with State Bank Of India	-	368,077
<b>T-O-T-A-L:-</b>	<b>31,064,053</b>	<b>4,536,591</b>
<b>SCHEDULE - "D"</b>		
<b>INVESTMENTS IN FDR(s):</b>		
a) Fixed Deposits with Central Bank of India	368,780,714	393,595,802
<b>T-O-T-A-L:-</b>	<b>368,780,714</b>	<b>393,595,802</b>
<b>SCHEDULE - "E"</b>		
<b>DEPOSITS &amp; ADVANCES</b>		
a) TDS Receivable ( A.Y 2007-08)	85,617	85,617
b) Deposit for rent	45,000	45,000
c) Deposit for telephone	1,402	3,852
d) Excess Fees deposited in Treasury	1,307	
<b>T-O-T-A-L:-</b>	<b>133,326</b>	<b>134,469</b>
<b>SCHEDULE - "F"</b>		
<b>CURRENT LIABILITIES &amp; PROVISION</b>		
a) Endowment fund	251,000,000	252,030,024
b) Additional fund	10,000,000	10,000,000
<b>T-O-T-A-L:-</b>	<b>261,000,000</b>	<b>262,030,024</b>



Schedule "F"

CHHATTISGARH NIJI VISHVAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG  
DETAILS OF ENDOWMENT FUNDS

NAME OF THE UNIVERSITY	AS ON 31.03.2016	AS ON 31.03.2015
AMITY University	30,000,000	30,000,000
C V Raman University	10,000,000	10,000,000
Gurukul University	1,000,000	1,000,000
ICFAI University	30,000,000	30,000,000
Institute Of Business Administration & Management	30,000,000	30,000,000
ITM University	30,000,000	10,000,000
ISBM University	30,000,000	30,000,000
Jindal University	10,000,000	10,000,000
Kalinga University	10,000,000	30,000,000
Mats University	30,000,000	30,000,000
Modi International University	30,000,000	30,000,000
Rawatpura Sarkaar University	10,000,000	10,000,000
Sankracharya University	-	31,000,000
Fees (To Be Deposited In Treasury Office,Raipur)	30,000,000	30,000,000
<b>TOTAL</b>	<b>251,000,000</b>	<b>252,030,024</b>

CHHATTISGARH NIJI VISHVAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG  
DETAILS OF ADDITIONAL FUNDS

NAME OF THE UNIVERSITY	AS ON 31.03.2016	AS ON 31.03.2015
Modi International University	10,000,000	10,000,000
<b>TOTAL</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>



**CHHATTISGARH NIII VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG**  
**SCHEDULE "B" DETAILS OF FIXED ASSETS**

PARTICULARS	RATE	W.D.V AS ON 04.15	ADDITIONS			TOTAL	TOTAL DEPRECIATION	W.D.V AS ON 31.03.2016
			MORE THAN 180 DAYS	LESS THAN 180 DAYS	TOTAL			
Furniture & Fixtures	10%	292,312	-	182,749	475,061	38,369	436,692	
Office Equipments	15%	122,539	-	-	122,539	18,381	104,158	
Computers	60%	35,964	-	-	35,964	21,578	14,386	
Air Conditioner	15%	50,101	-	-	50,101	7,515	42,586	
Car	15%	512,394	-	-	512,394	76,859	435,535	
<b>TOTAL</b>		<b>1,013,310</b>		<b>182,749</b>	<b>1,196,059</b>	<b>162,702</b>	<b>1,033,357</b>	



CHHATTISGARH NIJI VISHWAVIDYALAYA VINAYAMAK AYOG		
<u>Groupings</u>		
Particulars	As at 31st March, 2016 Rs.	As at 31st March, 2015 Rs.
<b>Groupings to Income</b>		
<b>[a] Interest fro Banks</b>		
Interest from saving A/c CBI	226,330	125,890
Interest from saving A/c SBI	90,391	6,548
Interest from saving A/c UBI	140,488	163,550
Interest ob Sbi Flexi account	13,749	91,014
<b>Total</b>	<b>470,958</b>	<b>387,002</b>
<b>Groupings to Income</b>		
<b>[b] Interest paid on Endowment &amp; Additional Fund</b>		
Interest paid on additional fund	-	400,000
Interest paid on endowment fund	-	8,265,000
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>8,665,000</b>
<b>Grouping of FDR (Schedule D)</b>		
<b>FDR WITH CENTRAL BANK OF INDIA</b>		
FDR No. 3248812307	9,500,000	9,500,000
FDR No. 3251113416	9,500,000	9,500,000
FDR No. 3248813071	9,500,000	9,500,000
FDR No.3298581481	9,000,000	-
FDR No.3298581583	9,000,000	-
FDR No.3298581640	9,000,000	-
FDR No.3298581695	9,000,000	-
FDR No.3298581957	9,000,000	-
FDR No.3298582247	5,000,000	-
FDR No.3248813887	9,500,000	9,500,000
FDR No.3248814359	9,500,000	9,500,000
FDR No.3248814790	8,326,649	8,326,649
FDR No.3248815954	9,500,000	9,500,000
FDR No.3248816390	9,500,000	9,500,000
FDR No.3248816902	9,500,000	9,500,000
FDR No.3248817258	9,500,000	9,500,000
FDR No.3248817633	9,500,000	9,500,000
FDR No. 3248818047	9,500,000	9,500,000
FDR No.3248818490	9,500,000	9,500,000
FDR No.3248819006	9,500,000	9,500,000
FDR No.3248819506	9,500,000	9,500,000
FDR No.3248820395	9,500,000	9,500,000
FDR No.3248820816	9,500,000	9,500,000
FDR No.3248821219	9,500,000	9,500,000



FDR No.3248823329	9,500,000	9,500,000
FDR No.3248823748	9,500,000	9,500,000
FDR No.3248824141	9,500,000	9,500,000
FDR No.3248824673	9,500,000	9,500,000
FDR No.3248825009	9,500,000	9,500,000
FDR No.3251113154	9,500,000	9,500,000
FDR No.3251113267	9,500,000	9,500,000
FDR No.3251113530	9,500,000	9,500,000
FDR No.3251113711	9,500,000	9,500,000
FDR No.3251113880	9,500,000	9,500,000
FDR No.3251113982	9,500,000	9,500,000
FDR No.3251114125	9,500,000	9,500,000
FDR No.3251114272	9,500,000	9,500,000
FDR No.3251114374	-	9,500,000
FDR No.3251114501	-	9,500,000
FDR No.3298581481	-	9,000,000
FDR No.3298581583	-	9,000,000
FDR No.3298581640	-	9,000,000
FDR No.3298581695	-	2,500,000
FDR No.3298581957	-	2,500,000
FDR No.3298582087	-	2,500,000
FDR No.3298582134	-	2,500,000
FDR No.3298582247	-	4,396,816
FDR No.3335674377	8,000,000	8,000,000
FDR No.3335676873	8,000,000	8,000,000
FDR No.3396516205	6,952,770	6,952,770
FDR No.3396797104	2,501,295	2,501,295
FDR No.3400251426	-	9,500,000
FDR No.3400252317	-	4,918,272
Interest accrued on FDR	-	
<b>TOTAL</b>	<b>368780714</b>	<b>393595802</b>



